



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या का अभियोग में अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹13,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1361/2013 धारा-304,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र श्री जड़ीबूटी उर्फ सन्तोष कुमार सोनकर नि0 कपरिया मोहाल चांदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹13,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री जगदीश
अनुरागी



विवेचक-
उ0नि0 श्री बलवीर
सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह